UPAG010061512026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2619/2026

मनोज अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ प्रसाद उम्र करीब 55 वर्ष निवासी– 38ए, मीनाक्षीपुरम थाना कमलानगर, आगरा

.....अभियुक्त

प्रति

राज्य ..... अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 190/2025
धाराः 420,465,468 भा0द0सं0
थानाः कमलानगर, आगरा

दिनांकः 11.06.2026

मुकदमा अपराध सं0 190/2025 अन्तर्गत धारा– 420,465,468 भा0द0सं0 थाना कमलानगर, आगरा में वांछित अभियुक्त मनोज अग्रवाल की ओर से धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अभियुक्त का वादी से लेन देन पूर्ण हो चुका था, कोई धनराशि शेष नहीं थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त पर धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत नोटिस तामील किया गया एवं विवेचना समाप्त होकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अभियुक्त को गिरफ्तारी की आशंका है, अतएव अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी राममूर्ति चौधरी द्वारा धारा 173(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वह उत्तर प्रदेश कारपोरेशन में आपरेटर के पद से वर्ष 2013 में सेवानिवृत हुआ है। उसका पुत्र आदित्य, मनोज अग्रवाल की गाड़ी चलाता था,जिसके कारण मनोज अग्रवाल का उसके यहां पर आना जाना था। मनोज ने अच्छी लोकेशन पर मकान दिलवाने का आश्वासन

दिया एवं बीच बीच में वह उसकी पत्नी गौरा देवी एवं पुत्र आदित्य से रूपये प्राप्त करता रहा। बाद में संज्ञान में आया कि मनोज अग्रवाल शातिर किस्म का है तथा उसके द्वारा कुल 12,85,000 रूपये वादी के परिवारीजन से प्राप्त कर ली गयी है। वादी द्वारा विपक्षी से किसी प्रकार से धनराशि वापस करने का काफी प्रयास किया एवं शिकायत की गयी, जिस पर विपक्षी द्वारा तीन चैक दिये गये, जो अनादरित हो गये। मनोज अग्रवाल ने नोटरी रणवीर सिंह से मिलकर एक झूठा समझौता पत्र तैयार कराया एवं उसमें पक्षकार संख्या–02 के स्वयं हस्ताक्षर बना लिये तथा दो गवाह लिखे गये, जिनके नाम पते वर्णित नहीं थे। इस प्रकार विपक्षी द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये तथा वादी के पुत्र एवं पत्नी से कुल रूपया 11,29,000 रूपयों का जानबूझकर भुगतान नहीं किया।

वादी के प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना कमलानगर, आगरा पर प्राथमिकी मु0अ0सं0 190/2025 अन्तर्गत धारा 420,406,467 भा0द0सं0 दर्ज की गयी। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420,465 एवं 468 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी के परिवारीजन से छल से रूपये प्राप्त किये गये तथा मु0 11,29,000 रूपयों का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र एवं पत्नी से छल से धनराशि प्राप्त कर, धनराशि का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया जाना आक्षेपित है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों, प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों तथा पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के मध्य यह निर्विवादित है कि पक्षगण के मध्य धनराशि के लेन–देन का विवाद है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों के साथ संलग्न प्रपत्रों की ओर इंगित करते हुए कहा गया है कि वादी राममूर्ति सिंह द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध योजित अभियोग वाद संख्या–4976/2020 अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, स्वयं वादी द्वारा किये गये

समझौते के आधार पर दिनांक 20.03.2023 को निर्णीत हेा चुका है एवं अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभियोग मु0अ0सं0 426/2016 अन्तर्गत धारा 307,323,420,467,468,471 भा0द0सं0 थाना न्यू आगरा का मामला भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निस्तारित हो चुका है। पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा अभियुक्त पर धारा 41क दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस तामील किया गया एवं विवेचना समाप्त कर धारा 420,465,468 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। निर्विवादित रूप से आक्षेपित अपराध सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। तदैव मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों, आवेदक/अभियुक्त मनोज अग्रवाल का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मनोज अग्रवाल** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

आवेदक/अभियुक्त **मनोज अग्रवाल** को निर्देशित किया जाता है कि, वह मुवलिग **30,000/– रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। आवेदक/अभियुक्त निम्न शर्तों का अनुपालन करेगा–

1. यह कि, आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे कि उन्हे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।
11.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.12 07:11:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court